5/2/18

बहुलाद खान. पत्रावली को अवलोकन किया गया। प्रकरण में ग्राम खुर्द-खुर्द कला के खसरा नं. 156 रकबा 0.10 बीघा पर अपीलार्थी जनगारम का अतिक्रमण मानते हुए प्रकरण नं. 63/13 सरकार vs जनगारम व अन्य तहसीलदार मुण्डवा के द्वारा 15.2.13 को बेदखली, 5 माह का सिविल कारावास का आदेश पारित किया, जिसके विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत हुई। दौरान अपील अपीलार्थी का शपथ पत्र दिनांक 1.9.17 को प्रस्तुत किया, कि उसके आजाद ने अतिक्रमण हटा लिया है, जिसका निष्पादन नायब तहसीलदार मुण्डवा को करवाया, जिसकी रिपोर्ट दिनांक 08 दि० 15.1.18 के अनुसार अपीलार्थी जनगारम की मृत्यु हो चुकी है, तथा उसके परिवार का कब्जा है, वर्तमान अपीलार्थी द्वारा की अपीलार्थी जनगारम के फौत हो जाने के तथ्य को स्वीकार किया गया है। चूंकि अपीलार्थी फौत हो जाने से उसके खातेदारी रिकार्ड पर लेने की कार्यवाही नहीं किये जाने से अपील स्वतः ही Abate हो जाने से चलने योग्य नहीं है। जहां तक अपीलार्थी जनगारम की सिविल लगान का प्रश्न है, वो फौत हो जाने से स्वतः ही निरस्त/विधिमान्य मानी जायेगी। अतः अपीलार्थी की अपील नहीं Abatement घोषित की जाती है। पत्रावली निस्तारित हुआ है। नकल को अग्रे कार्यवाही प्रेषित हो।

अपर कलक्टर, नागौर

अपर कलक्टर, नागौर राजस्थान